

उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन के प्रकाश में मूल निवासियों की संस्कृति के संरक्षण की अवधारणा

सारांश

पर्यटन जैसे बहुआयामी उद्योग से अधिकाधिक कमाने की प्रतिस्पर्द्धा में मनुष्य के जन्मसिद्ध अधिकारों की उपेक्षा करना आजकल एक सामान्य अभ्यास होता जा रहा है, जिसका असर हमारे मूल निवासियों के जीवन पर भी पड़ रहा है। आर्थिक उदारीकरण के इस नए और प्रतिस्पर्द्धी वातावरण में उनके लिए अपनी संस्कृति को बचाकर रखना मुश्किल होता जा रहा है। उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन ही वह अवधारणा है, जिस पर चलकर उनके मूल संस्कारों का परिरक्षण किया जा सकता है। इस अवधारणा में पर्यटन-उद्योग से होने वाली कमाई का एक हिस्सा स्थानीय लोगों पर खर्च करने का प्रावधान है, ताकि उनका जीवन-स्तर उन्नत हो। यह ठीक है कि उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन की अवधारणा का नया स्वरूप दुनिया में यूरोप की ओर से आया है, लेकिन भारत में तो सदियों से ही अतिथि को देवता माना जा रहा है। भारत में एक ओर अतिथि देवता है, तो दूसरी ओर अतिथि के लिए भी आचरण के कुछ नियम बने हुए हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन के उन बुनियादी सिद्धांतों की पड़ताल की गई है, जिन पर चलकर हमारे मूल निवासियों को समुचित संरक्षण मिल सके।

मुख्य शब्द : मूल निवासी, उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन, आभ्यंतरिक पर्यटन।

प्रस्तावना

‘भूमंडलीकरण’ और ‘उदारीकरण’ हम भारतीयों के लिए कोई नई अवधारणाएँ नहीं हैं, लेकिन इन्हें प्रचारित इस रूप में किया गया है जैसे आर्थिक उदारीकरण के नए संदर्भों में इनकी चर्चा होने से पहले हम इनसे परिचित थे ही नहीं। असल में भारत सभ्यता के उदय से ही ‘जीओ और जीने दो’ के उदात्त सिद्धांत पर चल रहा है, लेकिन विगत चार-पाँच दशकों से यूरोप और अमेरिका महाद्वीपों में तथाकथित वैश्वीकरण की जो हवा चली है, उससे भारत भी प्रभावित हो रहा है – जिसके चलते हमारे पर्यटन-उद्योग में कुछ विकार आ गए हैं। ये विकार भारत की मूल सांस्कृतिक पहिचान पर संकट के बादलों के रूप में मँडराने लगे हैं। हमारी मूल सांस्कृतिक पहिचान के वाहक हमारे मूल निवासी हैं, जिन्हें पर्यटन-उद्योग में आज एक उपकरण के रूप में काम लिया जाने लगा है। यदि यही होता रहा, तो वह दिन दूर नहीं, जब हम हमारी जड़ें ढूँढने लगेंगे।

उद्देश्य

यह सिद्ध करना उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन की पृष्ठभूमि में ही हमारे मूल-निवासियों की संस्कृति का संरक्षण हो सकता है। जिसके लिये पर्यटकों व स्टैकहोल्डरों को अतिरिक्त सावधानी से काम करना होगा।

उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन और मूल-निवासियों की संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता

वर्तमान में पर्यटन दुनिया में एक बड़े उद्योग का रूप ले चुका है। वे देश, जिनका अब तक पर्यटन की ओर खास ध्यान नहीं था, वे भी अब इस उद्योग से मुनाफा कमाने के काम में लग गए हैं। इस उद्योग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें न्यूनतम निवेश करके अधिकतम कमाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह उद्योग अनेक उप-उद्योगों को भी जन्म देता है, जिससे किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में तेजी से वृद्धि हो सकती है। साथ ही यह उद्योग किसी देश की सभ्यता और संस्कृति के व्यापक प्रचार-प्रसार का आधार भी बनता है।

जब देशों के पास पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रचलित साधन चुक जाते हैं, तो वे उन्हें ऐसे दूरस्थ इलाकों में लेकर जाते हैं, जहाँ रह रहे लोगों का नई सभ्यता से परिचय नहीं के बराबर होता है। ये वे लोग होते हैं, जो जंगलों और पहाड़ों में अपने नैसर्गिक अभ्यास के साथ जी रहे होते हैं। आधुनिक



सुरेन्द्र डी. सोनी

व्याख्याता,
इतिहास विभाग,
राजकीय लोहिया स्नातकोत्तर
महाविद्यालय,
चूरु, राजस्थान

सुख-सुविधाओं से उनका कोई वास्ता नहीं होता, क्योंकि वे उनके सम्पर्क में आए हुए ही नहीं होते हैं। वे ऐसी हर कोशिश को अस्वीकृत कर देते हैं, जिसके तहत उनकी जीवन-शैली के बदलने का खतरा होता है। वे हर स्थिति में अपने मूल स्वरूप को बचाना चाहते हैं, जबकि सरकार इस घोर व्यावसायिक युग में उनके संस्कृति का पूरी तरह पर्यटनीकरण कर देना चाहती है।

आज के व्यावसायिक युग में सबसे कठिन कार्य है अपनी संस्कृति को बचाकर रखना। देश का शहरी वर्ग जहाँ यूरोप और अमेरिका की चकाचौंध से भ्रमित होता जा रहा है, वहीं ग्रामीण वर्ग शहरी वर्ग के पीछे चलता दिखाई दे रहा है। इस वातावरण में यदि देश का कोई वर्ग अपनी परम्पराओं, मूल्यों और विश्वासों को कायम रखे हुए है, तो वह देश का मूल निवासी वर्ग ही है। जिस वर्ग ने विपरीत परिस्थितियों में अपनी संस्कृति को बचाकर रखा है, उसे निकट से देखने का लोभ संवरण करना पर्यटकों के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। शासन भी चाहता है कि मूल निवासियों की अनूठी संस्कृति पर्यटन के बड़े फलक पर उभरकर सामने आए, क्योंकि इससे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। पर्यटन, चूँकि दुनिया के सर्वाधिक संभावनाशील उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका है।

इसलिए इसके दायरे में आदिवासी और मूल निवासी भी आ गए हैं। साथ ही आधुनिक सभ्यता मूल निवासियों की सभ्यता से पूर्णतया अलग है, इसलिए आधुनिक सभ्यता में जी रहे लोगों के लिए मूल निवासियों की सभ्यता को देखना-समझना एक रोमांच पैदा करता है। इस सम्बन्ध में 'विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद्' (World Travel and Tourism Council WTTC) का कहना है कि पर्यटन विश्व में सबसे बड़ा रोजगार-उत्पादक उद्योग है, लेकिन परिषद् यह आशंका भी प्रकट करती है कि संस्कृति के वाहक मूल निवासी दूसरों का मनोरंजन करने लिए कहीं इतने दबाव में न आ जाएँ कि वे अपनी मूल-पहचान खोकर पर्यटन के मजदूर मात्र बनकर रह जाएँ।

दो भिन्न सभ्यताओं के लोगों का एक-दूसरे से परिचित होना हर स्थिति में सकारात्मक परिणाम देता है, लेकिन इसकी कीमत एक सभ्यता के ह्रास के रूप में नहीं चुकायी जा सकती। हमारे मूल निवासी पर्यटन के माध्यम से की जा रही संस्कृतियों के कथित सम्मिलन की इस कवायद की कीमत ही चुका रहे हैं। यदि हमने अपने मूल निवासियों को पर्यटन-उद्योग के माध्यम से आय बढ़ाने के उपकरण बनाकर रख दिया, तो इसके खतरनाक परिणाम होंगे।

पर्यटन को सही रूप में 'पर्यटन' बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं के द्वारा विगत दो दशकों से 'उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन' की अवधारणा को बार-बार रेखांकित किया जा रहा है। इन संस्थाओं में सबसे प्रमुख संस्था इण्टरनेशनल सेण्टर फॉर रेस्पॉसिबल टूरिज्म (International Centre for Responsible Tourism, ICRT) है। संस्था के कैपटाउन सम्मेलन (2002 ई.) में उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन के आधारभूत लक्ष्यों को इस रूप में प्रकट किया गया था कि पर्यटन से समाज पर पड़ने वाले आर्थिक, पर्यावरणिक

व सामाजिक दृष्टि से नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम किया जाए, स्थानीय लोगों के लिए बड़े आर्थिक लाभ के अवसर पैदा किए जाएँ, पर्यटन-उद्योग के विकास के लिए कार्य-स्थितियों को अधिक अनुकूल बनाया जाए, प्राकृतिक व सांस्कृतिक सम्पदा का पूरा संरक्षण किया जाए और पर्यटकों व स्थानीय लोगों के मध्य एक-दूसरे का आत्म-सम्मान व सामाजिक-सांस्कृतिक परम्पराओं को सुरक्षित रखने की तीव्र भावना का विकास किया जाए। इण्टरनेशनल सेण्टर फॉर रेस्पॉसिबल टूरिज्म (ICRT) द्वारा केरल-सम्मेलन में जारी की गई 'केरल घोषणा' (2008 ई.) आज विश्व में उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन का अनिवार्य दस्तावेज बन चुकी है। भारतीय संस्कारों में इस घोषणा में उल्लिखित सभी तत्व पहले से ही विद्यमान हैं। हमें केवल उन्हें पुनरेखांकित किए जाने और उन पर गम्भीरता से काम किए जाने की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें पर्यटन से जुड़े सभी घटकों – पर्यटक, स्थानीय निवासी, सरकारें, गैर सरकारी संगठन आदि – के दायित्व को नए सिरे से मूल्यांकित करके देखना होगा। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि वर्तमान में जिस भौतिकता के आधार पर उदारीकरण, भूमण्डलीकरण या वैश्वीकरण की व्याख्या की जा रही है, वह गलत है। उदारीकरण का सीधा – सा अर्थ यह होना चाहिए कि आर्थिक प्रगति के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण विश्व के लोगों को विकास का समान अवसर मिले।

आर्थिक उदारीकरण को भले ही मुक्त व्यापार की संज्ञा दी जाए, किन्तु व्यापार इतना भी मुक्त न हो कि किसी को मानवीय संवेदना की परवाह ही न रहे। भूमण्डलीकरण या वैश्वीकरण के भारतीय पक्ष का जहाँ तक प्रश्न है – 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के हमारे प्राचीन विचार से आधुनिक विश्व के अर्थशास्त्रियों को ठीक तरह से परिचित करवाया जाना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे भी जरूरी है कि पहले हम इसे आत्मसात करें। मूल निवासी – जो परम्परा, निर्वाह और संस्कारों की दृष्टि से, भारत के वास्तविक रूप को प्रतिबिम्बित करते हैं – वसुधैव कुटुम्बकम् और उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन के सिद्धांत के अनुसार उचित संरक्षण और प्रोत्साहन के सच्चे हकदार हैं। बेशक पर्यटक – चाहे वे देशी हों या विदेशी – उनके पास जाएँ, उनसे मिलें और उनके तौर-तरीकों का गहराई से विश्लेषण करें, किन्तु यह न हो कि वे अपने कार्य-व्यहार से उनके मूल ढाँचे को विकृत करें। एक पर्यटन के स्वभाव में छुपा अभिजात्यता का बोध उसे मूल निवासियों को बराबरी का दर्जा देने से रोकता है, क्योंकि वह उन्हें एक ऐसे अविकसित सामाजिक वर्ग के रूप में ही देखता है, जिसे नियति ने इस हाल में रहने के लिए छोड़ दिया है। यदि पर्यटक इतना उत्तरदायी हो जाए कि उसके लिए अभिजात्य वर्ग की प्रतिनिधि दिखाई दे रही एक एयर होस्टेस और जीवन के लिये संघर्ष करते मूल निवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही एक श्रमिक महिला के लिए सम्मान का समान भाव हो, तो यह एक सकारात्मक – दृष्टिकोण होगा।

आज विश्व में सभ्य समाज द्वारा जिस महत्वपूर्ण पक्ष की उपेक्षा की जा रही है, वह है पर्यटन का आभ्यान्तरिक पक्ष – जिसके अन्तर्गत इंसान और इंसान

के बीच के मधुरतम सम्बन्धों के गहन विस्तार की बात की जाती है। इसी के तहत लोगों में पर्यटन-भावना के संदूषित होने के प्रति गंभीर चिन्ताएँ प्रकट की जा रही हैं। पर्यटक मूल निवासियों के क्षेत्र में जिस तरह से गंदगी फैलाकर चले जाते हैं, इसे ठीक नहीं माना जा रहा है। इसके अलावा यदि कोई पर्यटक थोड़े-से धन के बदले केवल मूल निवासियों की कला व संस्कृति को देखकर और उससे आनंदित होकर लौट आता है, तो वह पर्यटन के आभ्यन्तरिक पक्ष की अवहेलना करता है। जब तक वह उनके साथ जुड़कर, उनकी भावनाओं के साथ एकाकार होकर उनके स्थायी विकास की चिंता नहीं करेगा, तब तक वह सच्चा पर्यटक नहीं कहलाएगा।

हमें सोचना चाहिए कि वे कौन-कौन से उपाय हो सकते हैं, जिनके द्वारा मूल निवासियों को पर्यटन-उद्योग का उपकरण होने से बचाया जा सकता है। सबसे पहले हमें मूल निवासियों की परम्पराओं व रीति-रिवाजों को एक उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करने से बचना होगा। मूल निवासियों को नुमाइश की वस्तु बनाकर उन्हें अपने मूल स्थानों से दूर विभिन्न समारोहों में ले जाना और मनोरंजन के लिए मंचों पर प्रस्तुत किया जाना उनके हित में नहीं है। इससे अच्छा यह है कि पर्यटक, पूरे अनुशासन के साथ, उनके निवास-स्थलों की ओर ही अभिगमन करें और वहीं उनकी कला और संस्कृति को देखें, समझें और प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उदारीकरण की चपेट में आकर जंगल, जहाँ मूल निवासी रहते हैं, भी सीमित होते जा रहे हैं। इसके कारण मूल निवासियों को रहवास की समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्हें इस समस्या से दूर रखना हमारा परम कर्तव्य है।

इन वर्षों में देखा गया है कि मूल-निवासियों को पोस्टकार्डों, फोल्डरों, बुकलेटों और अंतर्जाल-माध्यमों में इस तरह दिखाया जाता है – जैसे वे पर्यटकों का अपने घरों में स्वागत कर रहे हैं, ताकि पर्यटक कुछ दिन के लिए वहाँ जाकर रहने के लिए तैयार हो जाएँ। इसके लिए उन्हें लुभावने पैकेज भी दिए जाते हैं। वहाँ जाने वाले पर्यटक अपने साथ सुख-सुविधा की सामग्री भी लेकर जाते हैं, क्योंकि दैनिक जीवन की उनकी आदतें और आवश्यकताएँ मूल निवासियों से भिन्न होती हैं। इससे मूल निवासियों का रहन-सहन बुरी तरह से प्रभावित होता है। पर्यटकों की हीन वृत्ति के कारण ही हमारे मूल निवासी महिला और पुरुष वेश्यावृत्ति के आत्मघाती धंधे की ओर भी मुड़ जाते हैं। साथ ही वे विभिन्न प्रकार के नशों के शिकार भी हो जाते हैं। वेश्यावृत्ति और नशा ऐसी बुराइयाँ हैं, जो मूल निवासी ही नहीं – किसी भी समुदाय को उसकी जड़ों से काट सकती हैं। उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन के नियमों का पालन करके ही हम मूल निवासियों की जड़ों को बचा सकते हैं। इसके लिए देश में एक चुस्त पर्यटन-निगरानी-तन्त्र खड़ा करने की आवश्यकता है।

मूल निवासी विभिन्न पेड़-पौधों और जड़ी-बूटियों से ऐसी बीमारियों को भी ठीक कर देते हैं, जिनकी चिकित्सा आधुनिक पद्धति में सम्भव नहीं है और यदि सम्भव है – तो बहुत महँगी है। पर्यटन के नाम पर उनके सम्पर्क में आए विदेशी नागरिक उनके अनुभवों को,

अपने देशों में जाकर, व्यावसायिक रूप दे देते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे मूल-निवासियों के चिकित्सा-सम्बन्धी अनुभवों का लाभ दूसरे देशों के लोगों को मिले, लेकिन यह भी जरूरी है इसका माध्यम भारत ही बने। दूसरे, इससे होने वाले लाभ में मूल निवासियों का हिस्सा भी सुनिश्चित होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों की रचना इस प्रकार होनी चाहिए कि हमारे मूल निवासी, अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए, अपनी बन्द अर्थव्यवस्था से बाहर निकल आएँ। यही उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन की मूल भावना है। साथ ही पर्यटकों को भी यह स्पष्ट बता दिया जाना चाहिए कि उनके क्रिया-कलापों की पूरी निगरानी की जा रही है।

विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद् साफ तौर पर कहती है कि उपभोक्ता-संस्कृति के चलते स्थायी या मूल निवासी अपने क्षेत्र व संस्कृति के प्रति आत्मानुभूति का भाव कहीं नष्ट न कर बैठें। विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation, WTO) कहता है कि संस्कृति में लिखते हैं संस्कृति व मूल्यों में निहित अन्तर के चलते विश्व-बाजार स्थानीय व्यवस्थाओं को विशृंखलित कर देता है, जिससे बचना ही श्रेयस्कर है। उत्तरदायी पर्यटन से सम्बद्ध संगठन कहते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment, FDI) के चलते देश में आने वाली कम्पनियाँ स्थानीय भौतिक व मानव संसाधनों का जमकर इस्तेमाल करती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हमें देखना चाहिए कि यदि समुदाय-आधारित पर्यटन विदेशी कम्पनियों के हवाले कर दिया जाएगा, तो देश को इससे दोहरा नुकसान होगा। एक तो कम्पनियाँ लाभ का बड़ा हिस्सा अपने देश में ले जाएँगी, क्योंकि अधिकाधिक मुनाफा कमाने का उनका अपना सुनिश्चित गणित होता है। दूसरे, इससे हमारे सांस्कृतिक मूल्य भी नष्ट होंगे। इसलिए समुदाय आधारित पर्यटन को विदेशी निवेश से पूर्णतया मुक्त कर दिया जाना चाहिए। सरकारों, गैरसरकारी संगठनों, नागरिकों व जन-प्रतिनिधियों का यही लक्ष्य होना चाहिए समुदाय-आधारित पर्यटन हर स्थिति में समुदाय-आधारित विकास का पर्याय बने। यह तभी सम्भव होगा, जब निर्णय-प्रक्रिया में मूल निवासियों की ही प्रमुख भागीदारी सुनिश्चित होगी।

यदि किसी देश का शासन उत्तरदायित्व निभाने वाला हो और जनता जागरूकता की भावना से भरी हो – तो मूल निवासियों व राज्य के बीच बड़े स्तर पर रचनात्मक समझौतों व संविदाओं अच्छी पृष्ठभूमि तैयार हो सकती है, जिसके मूल में मूल निवासियों के हित-साधन का उद्देश्य निहित हो। इन समझौतों व संविदाओं को तैयार करने के लिए हमारे पास वर्तमान में उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रही विश्वस्तरीय संस्थाओं की उद्देश्यकाओं व कार्यक्रमों का एक सुदृढ़ आधार भी है। इस बारे में बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि मूल निवासियों से सम्बद्ध किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम आपके पास है, तो उसे उनसे पूर्व स्वीकृति लेकर ही लागू किया जाना चाहिए। 'विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद्' का एजेंडा 21 मूल निवासियों के मौलिक

अधिकारों को संरक्षित करते हुए नीति-निर्धारण के स्तर पर मूल निवासियों की ही भागीदारी का समर्थन करता है।
निष्कर्ष

स्पष्ट है कि पर्यटन केवल मनोरंजन नहीं है। पर्यटन दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों के सम्मिलित का बहुत सुन्दर माध्यम है। बेशक हम इसे एक उद्योग का रूप दें, लेकिन हर उद्योग की अपनी मर्यादा होती है। बहुत जरूरी है कि हम उस मर्यादा में रहकर समूचे विश्व के कल्याण की उदात्त भावना से कार्य करें और हमारी मूल संस्कृति की रक्षा करें। मूल संस्कृति की रक्षा तभी होगी, जब हमारे मूल निवासियों को सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यह तभी होगा, जब मूल निवासियों के हित में एक मजबूत पर्यटन-निगरानी-तंत्र खड़ा होगा और उनके सम्बंध में बनाई और लागू की जाने वाली योजनाओं में उनकी अपनी भागीदारी सुनिश्चित होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. "इकनामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली", मुम्बई।
2. "इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ हेरिटेज स्टडीज", रूटलेज, यू.एस.ए।
3. "इतिहास", इण्डियन काउन्सिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली।
4. गुप्ता एस. पी., लाल कृष्णा व भट्टाचार्य महुआ (2002), 'कल्चरल टूरिज्म इन इण्डिया - म्यूजियम्स, मोनूमेण्ट्स एण्ड आर्ट्स (थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस)', प्रिंटवर्ल्ड प्रा.लि., नई दिल्ली।
5. चावला रोमिला (2003), प्रतिष्ठान 'टूरिज्म इन इण्डिया पर्सपेक्टिव एण्ड चलेजेज', जगदम्बा पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

6. 'टूरिज्म एण्ड सस्टेनेबल डेवलेपमेण्ट'(1999), यूनाइटेड नेशंस, जेनेवा।
7. बर्न रोबिन (2003), 'द हैण्डबुक ऑफ इण्टरनेशनल मार्केट रिसर्च टेक्नीक्स', कोगन पेज इण्डिया, यू.एस.ए।
8. पैमिसन, वाल्टर व एलिव्स नोबल (2000), "ए मेन्युएल फोर सस्टेनेबल टूरिज्म
9. 'मंथन', एकात्म मानवदर्शन अनुसन्धान एवं विकास प्रतिष्ठान, नई दिल्ली।
10. राय निहारंजन (2000), "ए सोर्स ऑफ सिविलाइजेशन", ओरिएण्ट लॉगमैन, कोलकाता।
11. 'रेस्पॉसिबल टूरिज्म इन डिफिनेशंस' (2000), कैपटाउन डिक्लेरेशन।
12. 'संस्कृति मीमांसा', समान्तर, सेण्टर फॉर कल्चरल एक्शन एण्ड रिसर्च, जयपुर।
13. सांकृत्य रामदत्त (2003), 'आदिमानव का आदिदेश', धनवंती प्रकाशन, रतनगढ़, राजस्थान।
14. सीले क्लाइव (2003), 'सोशल रिसर्च मेथड्स - ए रीडर', रूटलेज, न्यूयॉर्क, यू.एस.ए।
15. 'संस्कृति मीमांसा', समान्तर, सेण्टर फॉर कल्चरल एक्शन एण्ड रिसर्च, जयपुर।
16. www.ecoclub.com
17. www.ecoindia.com
18. www.gdrc.org
19. www.ichrindia.org
20. www.icrtindil.org
21. www.icrtourism.org
22. www.indianholiday.com
23. www.unep.org
24. www.unesdoc.unesco.org